

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 82]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 26 फरवरी 2008—फाल्गुन 7, शक 1929

सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2008

क्र. एफ 11-11-2005-सूअप्र-एक-9.—यतः राज्य सरकार ने, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 11-11-05-एक-9, दिनांक 22 अगस्त, 2005 द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए पहले से ही मध्यप्रदेश सूचना आयोग का गठन कर लिया है;

और यतः, वर्तमान में मध्यप्रदेश सूचना आयोग में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:—

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. श्री पद्मपाणि तिवारी | राज्य मुख्य सूचना आयुक्त. |
| 2. श्री दिनेश चन्द्र जुगरान | राज्य सूचना आयुक्त. |
| 3. श्री इकबाल अहमद | राज्य सूचना आयुक्त. |
| 4. श्री महेश पाण्डे | राज्य सूचना आयुक्त. |

अतएव, मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको कि वह अपना पद ग्रहण करते हैं पांच वर्ष की कालावधि के लिए या सैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) तथा (2) में उल्लिखित किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. डी. अग्रवाल, सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2008

क्र. एफ 11-11-2005-सूअप्र-एक-9.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26 फरवरी, 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. डी. अग्रवाल, सचिव.

Bhopal, the 26th February 2008

No. F. 11-11-2005-I-9.—Whereas the State Government has already constituted Madhya Pradesh Information Commission *vide* this department Notification No. F 11-11-05-I-09, dated 22nd August 2005, under sub-section (1) of section 15 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005) to perform the functions assigned to it under the said Act;

And whereas presently the Madhya Pradesh Information Commission consists of the following persons, namely:—

- | | | |
|----|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Shri Padmapani Tiwari | State Chief Information Commissioner |
| 2. | Shri Dinesh Chandra Jugran | State Information Commissioner. |
| 3. | Shri Iqbal Ahmed | State Information Commissioner. |
| 4. | Shri Mahesh Pandey | State Information Commissioner. |

Now therefore, the term of Chief Information Commissioner and State Information Commissioners shall be for a period of five years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of sixty five years, whichever is earlier, as mentioned in sub-section (1) and (2) of section 16 of the said Act.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

S. D. AGRAWAL, Secy.